"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ़ 9, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कहकशा आशिफ हुसैन, ध. प. श्री आशिफ हुसैन, उम्र 35 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-1/एफ, सड़क नं.-24, जोन-1, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं, शिप्रा हालदार आ. स्व. ननी गोपाल हालदार के नाम से जानी, पहचानी जाती थी तथा यही नाम मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों व सभी शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य अभिलेखों में दर्ज है. मेरा विवाह 30-11-2012 को श्री आशिफ हुसैन, आ. श्री ताहिर हुसैन के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती कहकशा आसिफ हुसैन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती कहकशा आशिफ हुसैन ध. प. श्री आशिफ हुसैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कुमारी शिप्रा हालदार पिता-स्व. ननी गोपाल हालदार निवासी-म. नं. 3/D, 9/4, सेक्टर-4, सड़क नं. 9, 10 A, बोरिया जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती कहकशा आशिफ हुसैन पति-श्री आशिफ हुसैन निवासी-क्वा. नं.-1/एफ, सड़क नं.-24, जोन-1, खुर्सीपार, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजशेखर नायर, आत्मज स्व. एन. दामोदरन नायर, निवासी-म. नं. 138, ग्राम-उमरपोटी, पो.-पुरई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों मेरा नाम राजशेखर नायर दर्ज है, किन्तु कुछ आवश्यक प्रमाण पत्रों व जरूरी दस्तावेजों में मेरा नाम राजशेखर दामोदरन दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम राजशेखर नायर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राजशेखर नायर आ. स्व. एन. दामोदरन नायर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राजशेखर दामोदरन पिता-स्व. एन. दामोदरन नायर निवासी-म. नं.-138, ग्राम उमरपोटी, पोस्ट-पुरई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	राजशेखर नायर पिता-स्व. एन. दामोदरन नायर निवासी-म. नं.-138, ग्राम उमरपोटी, पोस्ट-पुरई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अरमान सिंह चावला, आत्मज श्री दलजीत सिंह चावला, उम्र 25 वर्ष, निवासी- लोट्स 258, ब्लाक-ए, तालपुरी भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेखों व प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अश्विन चावला, आ. श्री दलजीत सिंह चावला दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अरमान सिंह चावला (Armaan Singh Chawla) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अरमान सिंह चावला आ. श्री दलजीत सिंह चावला के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अश्विन चावला (Ashwin Chawla) पिता-श्री दलजीत सिंह चावला निवासी-लोट्स 258, ब्लाक-ए, तालपुरी भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	अरमान सिंह चावला (Armaan Singh Chawla) पिता-श्री दलजीत सिंह चावला निवासी-लोट्स 258, ब्लाक-ए, तालपुरी भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उदयभान पाण्डेय, आत्मज-स्व. सत्यनारायण पाण्डेय उम्र 75 वर्ष, निवासी-सेक्टर-07, सड़क-12, म. नं.-3/बी, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कई शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम उदयभान पाण्डेय और कई दस्तावेजों में राजपति पाण्डेय दर्ज है, जिसके कारण मुझे अनेक परेशनियों का सामना करना पड़ रहा है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम उदयभान पाण्डेय रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे उदयभान पाण्डेय आ. स्व. सत्यनारायण पाण्डेय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राजपति पाण्डेय पिता-स्व. सत्यनारायण पाण्डेय निवासी-सेक्टर-07, सड़क-12, म. नं.-3/बी, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	उदयभान पाण्डेय पिता-स्व. सत्यनारायण पाण्डेय निवासी-सेक्टर-07, सड़क-12, म. नं.-3/बी, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रूपम जैन आत्मज श्री स्वरूपचन्द जैन, उम्र 30 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 36, सदर बाजार, राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व परिचय पत्र में मेरा वास्तविक नाम रूपम जैन अंकित है, जो कि सही है किन्तु मेरे राजस्व अभिलेखों में, मेरा घरेलू नाम खुशी जैन अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम/उपनाम को परिवर्तित कर नया नाम रूपम जैन, रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे रूपम जैन आ. श्री स्वरूपचन्द जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
खुशी जैन पिता-श्री स्वरूपचन्द जैन निवासी-वार्ड नं. 36, सदर बाजार, राजनांदगांव तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	रूपम जैन पिता-श्री स्वरूपचन्द जैन निवासी-वार्ड नं. 36, सदर बाजार, राजनांदगांव तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/1170.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/880 दिनांक 11-07-2006 के तहत् मजदूर ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या. पौंसरा पंजीयन क्रमांक 3717 दिनांक 29-02-1996 को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक 863 दिनांक 17-05-2012 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् अरूण कुमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् मजदूर ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या. पौंसरा पंजीयन क्रमांक 3717 दिनांक 29-02-1996 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 5-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/1171.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/1686 दिनांक 16-08-2007 के तहत् लाल बहादुर शास्त्री प्राथ. उप. सहकारी भंडार मर्या. बोदरी, पंजीयन क्रमांक 3670 दिनांक 03-06-1995 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक 863 दिनांक 17-05-2012 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् अरूण कुमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् लाल बहादुर शास्त्री प्राथ. उप. सहकारी भंडार मर्या. बोदरी, पंजीयन क्रमांक 3670 दिनांक 03-06-1995 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 5-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/1172.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/3517 दिनांक 10-08-1973 के तहत् चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिल्हा, पंजीयन क्रमांक 2761 दिनांक 26-01-1963 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक 863 दिनांक 17-01-2012 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् अरूण कुमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिल्हा, पंजीयन क्रमांक 2761 दिनांक 26-01-1963 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 5-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/1173.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/402 दिनांक 20-03-2007 के तहत् खनिज सहकारी समिति मर्या. पौंसरी पंजीयन क्रमांक 3793 दिनांक 25-09-1996 को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक 863 दिनांक 17-05-2012 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् अरूण कुमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् खनिज सहकारी समिति मर्या. पौंसरी पंजीयन क्रमांक 3793 दिनांक 25-09-1996 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 5-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/1174.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1995/1750 दिनांक 24-06-1995 के तहत् उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या. सेंदरी, पंजीयन क्रमांक 3037 दिनांक 28-03-1974 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक 863 दिनांक 17-05-2012 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् अरूण कुमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या. सेंदरी, पंजीयन क्रमांक 3037 दिनांक 28-03-1974 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 5-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/1175.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/878 दिनांक 11-07-2006 के तहत् बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. बिल्हा, पंजीयन क्रमांक 3465 दिनांक 09-03-1992 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक 863 दिनांक 17-05-2012 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् अरूण कुमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. बिल्हा, पंजीयन क्रमांक 3465 दिनांक 09-03-1992 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 5-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/1176.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2005/1307 दिनांक 21-10-2005 के तहत् खनिज सहकारी समिति मर्या. हरदीकला, पंजीयन क्रमांक 3802 दिनांक 03-10-1996 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक 863 दिनांक 17-05-2012 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् अरूण कुमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् खनिज सहकारी समिति मर्या. हरदीकला, पंजीयन क्रमांक 3802 दिनांक 03-10-1996 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 5-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/1177.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/1781 दिनांक 28-12-2006 के तहत् बजरंग कोटना फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. ओड़गन, पंजीयन क्रमांक 3121 दिनांक 20-07-1982 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक 863 दिनांक 17-05-2012 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् अरूण कुमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् बजरंग कोटना फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. ओड़गन, पंजीयन क्रमांक 3121 दिनांक 20-07-1982 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 5-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/1183.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2010/138 दिनांक 21-01-2010 के तहत् आदर्श खनिज सहकारी समिति मर्या. अमेरी अकबरी, पंजीयन क्रमांक 3696 दिनांक 01-10-1996 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक 1228 दिनांक 24-10-2013 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् अरूण कुमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् आदर्श खनिज सहकारी समिति मर्या. अमेरी अकबरी, पंजीयन क्रमांक 3696 दिनांक 01-10-1996 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूॅं.

यह आदेश दिनांक 5-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/1184.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2005/1305 दिनांक 21-10-2005 के तहत् बजरंग रेत खनिज सहकारी समिति मर्या. लगरा, पंजीयन क्रमांक 3754 दिनांक 17-09-1996 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक 1228 दिनांक 24-10-2013 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् अरूण कुमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् बजरंग रेत खनिज सहकारी समिति मर्या. लगरा, पंजीयन क्रमांक 3754 दिनांक 17-09-1996 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूॅं.

यह आदेश दिनांक 5-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/1185.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/476 दिनांक 31-03-2006 के तहत् वरूणदेव मछुआ सहकारी समिति मर्या. बोदरी, पंजीयन क्रमांक 3151 दिनांक 22-06-1984 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक 863 दिनांक 17-05-2012 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् अरूण कुमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् वरूणदेव मछुआ सहकारी समिति मर्या. बोदरी, पंजीयन क्रमांक 3151 दिनांक 22-06-1984 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूॅं.

यह आदेश दिनांक 5-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/1187.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2005/333 दिनांक 15-03-2005 के तहत् आदर्श खनिज सहकारी समिति मर्या. दोमुहानी, पंजीयन क्रमांक 3778 दिनांक 23-09-1996 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक 863 दिनांक 17-05-2012 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् अरूण कुमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् आदर्श खनिज सहकारी समिति मर्या. दोमुहानी, पंजीयन क्रमांक 3778 दिनांक 23-09-1996 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूॅं.

यह आदेश दिनांक 5-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/1188.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1995/1750 दिनांक 24-06-1995 के तहत् शिव उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या. मोहदा, पंजीयन क्रमांक 3013 दिनांक 28-03-1974 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक 863 दिनांक 17-5-2012 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् अरूण कुमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् शिव उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या. मोहदा, पंजीयन क्रमांक 3013 दिनांक 28-03-1974 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 5-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.